IMPORTANT POINTS of O.B.C. RESERVATION

ओ.बी.सी. आरक्षण के महत्वपूर्ण बिन्दु

In online applications check minutely & produce all documents required for counseling or interview in prescribed formats only by taking prints of Information Brochure & Rules

ऑनलाइन आवेदनों के इनफर्मेशन ब्रॉउशर, नियमावली आदि के प्रिन्ट लेकर बारीकी से अध्ययन करें समस्त दस्तावेज, मांगे गए प्रारुपों में ही, सूक्ष्म जॉच कर काउन्सलिंग या साक्षात्कार में प्रस्तुत करें.

The important points of OBCs (Other Backward class) regarding 'Reservation Rules', 'Creamy layer criteria', 'Caste Certificate' & 'Scholarships' etc. are as under:

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के 'आरक्षण नियम', 'क्रीमीलेयर–मापदंड', 'जाति प्रमाण–पत्र' एवं 'छात्रवृत्ति' इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं।

(1) **OBC Reservation where & why?-** **In all central posts like IAS, IPS, BANK, RAILWAY, INSURANCE, PSUs etc. & in U.G., P.G. & P.H.D. admissions of all central educational institutions like IIT, IIM, NIT(AIEEE), AIIMS, AGRICULTURE, CENTRAL UNIVERSITIES etc. 27% reservation is applicable for OBC (NCL). This reservation was required as very few candidates of OBCs were getting selected in general seats.**

ओ.बी.सी. आरक्षण कहॉ व क्यों?– समस्त केन्द्रीय पदों जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, बीमा, सार्वजनिक उपक्रमों तथा समस्त केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. (ए.आई.ई.ई.ई.), एम्स, कृषि एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों इत्यादि में स्नातक, पी.जी. तथा पी.एच.डी. स्तर तक प्रवेश में ओ.बी.सी. (एन.सी.एल.) हेतु 27% आरक्षण लागू है। आरक्षण की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि पूर्व में सामान्य सीटों में ओ.बी.सी. के बहुत कम उम्मीदवार चयनित होते थे।

(2) **Consideration of OBCs in General-** **OBCs selected on merit basis in unreserved (general) seats will be counted in unreserved (general) seats and will not be adjusted in reservation quota of 27% in recruitment & admissions.**

ओ.बी.सी. की अनारक्षित सीटों में गणना– नियुक्तियों व प्रवेश में मेरिट अर्थात प्राप्तांको के आधार पर अनारक्षित (जनरल) सीटों में चयनित ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में ही गिना जावेगा, उन्हें उनके लिये आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जावेगा।

(3) **OBCs selected in General will get benefit as OBC in future-** **OBCs selected on merit basis in unreserved (general) seats will get all benefit of OBC category (in which they have born) in future also and their caste will never change.**

अनारक्षित सीटों में चयनित ओ.बी.सी. को भविष्य में भी लाभ!– मेरिट के आधार पर अनारक्षित (जनरल) सीटों में चयनित ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को भविष्य में भी ओ.बी.सी. केटेगरी (जिसमें उनका जन्म हुआ है) के आधार पर मिलने वाले समस्त लाभ मिलते रहेंगे, उनकी जाति कभी नहीं बदलेगी।

(4) **Don't use word "General"-** **In the process of recruitment & admissions etc. word "Unreserved" should be used in place of "General" as on the basis of merit these seats are open for all.**

जनरल (सामान्य) शब्द का प्रयोग बन्द– भर्ती व प्रवेश इत्यादि की प्रक्रिया में 'सामान्य–वर्ग' के स्थान पर 'अनारक्षित **(unreserved)**' शब्द लिखना है। क्योंकि ये सीटें मेरिट के आधार पर सभी के लिये खुली हैं।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

(5) Creamy layer confusions / क्रीमीलेयर की भ्रांतियॉं–

(i) Creamy layer determination on the basis of 3 years income- **"If the annual income (excluding salary & agricultural income) is more than Rs. 4.50 lakhs for last three consecutive years then the children are creamy layer. <u>It means that if the annual income is less then Rs. 4.50 lakhs for any one of the last three consecutive years then the children are non-creamy layer and eligible for OBC reservation.</u> (Example: Say annual income for year 2008-09 is Rs. 4.00 lakhs, for 2009-10 Rs. 1 crores and for 2010-11 Rs. 1 crores even then candidate is eligible for reservation. No need to take average of 3 years. Current year's income never counted (How can we find current year's income of a businessman?)**

क्रीमीलेयर जॉच 3 वर्ष की आय से– पिछले लगातार तीन वर्षों से माता–पिता की वार्षिक आय (वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर) प्रतिवर्ष 4.50 लाख रुपये से अधिक होने पर बच्चे क्रीमीलेयर हैं। <u>इसका तात्पर्य यह है कि पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष भी आय 4.50 लाख रुपये से कम हो तो बच्चे नॉन–क्रीमीलेयर हैं व आरक्षण हेतु पात्र हैं।</u> (उदाहरण वर्ष 2008–09 में आय रु. 4 लाख, 2009–10 में रु. 1 करोड़, 2010–11 में रु. 1 करोड हो तो भी आरक्षण मिलेगा, एवरेज नहीं निकालना है। करन्ट ईयर की आय कभी नहीं जुड़ेगी (व्यापारी की करन्ट ईयर की वार्षिक आय कैसे निकलेगी?)

(ii) Stop Creamy layer determination of employees by "salary income"- **While issuing OBC certificate the creamy layer determination of government employees is done by salary income. <u>Which should be done on the basis of post</u>. Even there is no any column given in "application form" prescribed by Govt of India to show the "salary income".**

कर्मचारियों की क्रीमीलेयर जॉच ''वेतन की आय'' से तत्काल बन्द करने बाबत्– ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र जारी करते समय शासकीय कर्मचारियों की क्रीमीलेयर पहचान नियमविरुध्द ''वेतन की आय'' से की जा रही है। <u>जो पद के आधार पर की जाना चाहिए।</u> जाति प्रमाण पत्र लेने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले भारत सरकार के निर्धारित ''आवेदन पत्र'' में 'वेतन की आय' दर्शाने हेतु कोई कॉलम ही नहीं है।

(iii) Creamy layer never determined by self or husband/wife's status- **For whole life creamy layer status of a candidate is determined by his/her parent's status & never by his own or his husband/wife's status.**

क्रीमीलेयर निर्धारण स्वयं के या पति/पत्नि के स्तर से कभी नहीं– उम्मीदवार के क्रीमीलेयर के दर्जे का निर्धारण उम्र भर उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जावेगा न कि उसकी अपनी स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर।

(iv) Creamy layer determination of employees in PSUs, Banks & Private sectors- **For employees working in organizations where equivalence or comparability of posts vis-à-vis posts in Government has not been evaluated if the Income from salaries or from other Sources [other than salaries and agricultural land] exceeds the limit of Rs.4.5 lakh per annum separately for a period of three consecutive years, the children are creamy layer.**

निजी संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक कर्मियों का क्रीमीलेयर निर्धारण– ऐसे संगठन में कार्यरत व्यक्ति जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं है उनके पुत्र–पुत्रियों को माता–पिता की वेतन तथा अन्य श्रोतों (वेतन एवं कृषि आय छोड़कर) की आय पृथक पृथक तीन वर्षों से 4.50 लाख रुपये से अधिक होने पर क्रीमीलेयर माना जावेगा।

(v) Definition of Family- **Father, Mother & Minor children (Less than 18 years).**

परिवार की परिभाषा– माता, पिता एवं अवयस्क (18 वर्ष से कम) बच्चे।

(6) Counseling in charge are not entitled to decide caste or creamy layer status- **In OBC certificate for determination of caste or creamy layer status only S.D.O., Tehsildar & Executive Magistrates are authorized & not the UPSC,IIT,IIM or AIIMS.**

जाति व क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु काउन्सलिंगकर्ता प्राधिकृत नहीं– ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र में जाति व क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण हेतु केवल एस.डी.ओ., तहसीलदार, कार्यपालिक दंडाधिकारी इत्यादि कुल 16 अधिकारी ही प्राधिकृत हैं, यू.पी.एस.सी., आई.आई.टी., आई.आई.एम. या एम्स नहीं।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

(7) Separate OBCs certificate is necessary for Central jobs & admissions- For 27% OBC reservation in central posts like IAS, IPS, BANK, RAILWAY, INSURANCE, PSUs etc. & in admissions of central educational institutions like IIT, IIM, NIT(AIEEE), AIIMS, AGRICULTURE, CENTRAL UNIVERSITIES etc. a separate OBC certificate issued on the basis of central list of OBCs is required. This certificate is necessary due to difference in OBC list & creamy layer criteria of central and state. S.D.O., Tehsildar & Executive Magistrates are also authorized to issue OBC certificate in central format. Signature of Collector or DM is not required.

केन्द्रीय नौकरियों या एडमिशन के लिए पृथक केन्द्रीय ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र आवश्यक– ओ.बी.सी. कोटे में केन्द्रीय नौकरी (आई.ए.एस., बैंक) या एडमिशन (आई.आई.टी., एआईईईई) प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पृथक से जारी केन्द्रीय ओ.बी.सी सूची के आधार पर केन्द्रीय प्रारुप में पृथक जाति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। राज्य व केन्द्र में जातियों की सूची व क्रीमीलेयर नियमों में भिन्नता होने से यह आवश्यक है। केन्द्रीय प्रारुप में ओ.बी.सी. प्रमाण देने के लिये अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार या कार्यपालिक दंडाधिकारी अर्थात नायब तहसीलदार भी प्राधिकृत हैं। कलेक्टर या डी.एम. के हस्ताक्षर आवश्यक नही हैं।

(8) 10% less cutoff for OBCs in admissions- To implement 27% reservation in admissions in central educational institutions OBCs will be selected upto 10% below the cutoff of general category. As per Supreme Court the cutoff of general category will be minimum qualifying marks/eligibility criteria (example 35% marks) and not the marks secured by last general candidate admitted (example 95%). Therefore OBCs will be admitted upto 31.50% marks & all the OBC seats will filled up.

ओ.बी.सी. प्रवेश हेतु 10% कम कट–ऑफ अंक– केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में 27% आरक्षण देने हेतु अनारक्षित (जनरल) सीटों के 'कट–ऑफ' से 10% कम अंकों तक ओ.बी.सी. लिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनारक्षित सीटों का 'कट–ऑफ' मिनिमम क्वालिफाइंग/एलिजिबिलिटि मार्क्स (उदाहरण–35%) को माना जावेगा ना कि अनारक्षित (जनरल) सीटों में अंतिम प्रवेशित उम्मीदवार के अंकों (उदाहरण–95%) को। अतः 31.50% प्राप्तांक तक ओ.बी.सी. को प्रवेश दिया जावेगा, अतः ओ.बी.सी. की सभी सीटें भरेंगी।

(9) Seats hike in IIT, IIM, AIIMS etc.- In central educational institutions to maintain earlier numbers of general seats each institute hiked 54% seats & OBC is getting 27% of these 154 seats which comes out to 42 no.

आई.आई.टी., आई.आई.एम.,एम्स इत्यादि में सीट वृध्दि– केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में सामान्य सीटें यथावत रखने हेतु प्रत्येक संस्थान में 54% सीटें बढाई गई हैं। इन 154 सीटों का ओ.बी.सी को 27% अर्थात 42 सीटें आरक्षण से मिल रही हैं।

(10) Why validation of OBC certificates required in AIEEE(NITs) for Maharashtra candidates?- Why validation of Central OBC certificate is required by AIEEE(NITs) for Maharashtra candidates. Whereas candidate submits a fresh OBC certificate issued after 31.03.2012. Such condition of validation does not exists in UPSC, IIT, IIM, AIIMS etc.

ए.आई.ई.ई.ई. (एन.आई.टी.) में महाराष्ट्र के बच्चों से वेलिडेशन की मॉग क्यों?– ए.आई.ई.ई.ई. ने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए केन्द्रीय ओ.बी.सी. प्रमाण के वेलफेयर विभाग से वेलिडेशन कराने की शर्त क्यों रखी है? जबकि उम्मीदवार 31.03.2012 के बाद का ताजा ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करेंगे। वेलिडेशन कराने की यह शर्त यू.पी.एस.सी., आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स इत्यादि में कहीं भी नहीं है।

(11) Why validation is required for OBC (NCL) also in Maharashtra State?- Why validation of OBC (NCL) certificate from welfare department is required for recruitment & admissions of Maharashtra State Government. Whereas candidates are taking fresh NCL (Non creamy layer) certificates every year. And the NCL certificate issuing authority is already checking the validity (expiry) of caste that "whether this caste still exist in OBC list of Maharashtra State Government or not?"

महाराष्ट्र राज्य में ओ.बी.सी. (एन.सी.एल.) को भी वेलिडेशन क्यों आवश्यक है?– महाराष्ट्र राज्य शासन की भर्तियों व शिक्षण संस्थाओं में ओ.बी.सी. (एन.सी.एल.) उम्मीदवारों के लिए वेलफेयर विभाग से वेलिडेशन कराने की शर्त क्यों है? जबकि उम्मीदवार प्रति वर्ष ताजा एन.सी.एल. (नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण पत्र लेता है। और एन.सी.एल. प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी स्वयं वेलिडिटि (एक्सपायरी) की जॉच करता ही है कि "यह जाति अभी भी महाराष्ट्र राज्य शासन की ओ.बी.सी. सूची में शामिल है या नहीं"।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

(12) SCHOLARSHIPS / छात्रवृत्तियॉं–

(i) **Central Sector Scholarship in College-** For collegiate education of students passed 12^{th} from any Board with 80% marks of all categories 82000 Central Sector Scholarships of Rs. 1000 p.m. for three years and Rs. 2000 p.m. for further two years to non creamy layer candidates are given. Only basic pay is counted for salaried people.

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप इन कॉलेज– किसी भी बोर्ड के 12 वीं में 80 प्रतिशत प्राप्तांक वाले, समस्त श्रेणी के 82000 नान–क्रीमीलेयर, छात्रों को कॉलेज शिक्षा हेतु प्रथम 3 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह तथा आगामी 2 वर्ष तक 2000 रुपये प्रति माह की ''सेन्ट्रल सेक्टर छात्रवृत्तियॉं'' दी जाती हैं। इसमें वेतनभोगियों का केवल मूल वेतन गिना जावेगा।

(ii) **Inspire Scholarships for BSc, MSc-** To attract meritorious students towards research field 10000 Inspire scholarships of Rs. 80000 annual are given to BSc & MSc students.

इन्सपायर स्कॉलरशिप फॉर बी.एस.सी.,एम.एस.सी.– उच्चप्रतिभावान छात्रों को शोध क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए बी.एस.सी., एम.एस.सी. शिक्षा हेतु 80,000 रुपये प्रति वर्ष की 10000 ''इन्सपायर छात्रवृत्तियॉं'' दी जाती हैं।

(iii) **Means cum Merit Scholarships from class 9^{th}-** Means cum Merit scholarships of Rs. 6000 annual are given to 100000 students of class 9^{th} to 12^{th} whose parents annual income is less then Rs. 1.50 lakhs on the basis of selection test.

मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप कक्षा 9 वीं से– माता–पिता की आय 1.50 लाख रुपये वार्षिक से कम वाले 1,00,000 छात्रों को कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक ''चयन परीक्षा'' के आधार पर 6000 रुपये वार्षिक की ''मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्तियॉं'' दी जाती हैं।

(13) Not happening-

Arrangement to send all the circulars regarding issuance of OBC certificates by Government of India directly to Tehsil offices from Delhi, Establishment of separate Ministry for OBCs or OBC Cell at Government level, OBC caste certificate and Non creamy layer certificate should be in separate format, Reservation in promotions, Reservation in private institutions, Reservation in higher judiciary services, Hike in creamy layer income limit to Rs. 9 lakhs & removal of creamy layer concept are the demands of time.

जो नहीं हो रहा– भारत सरकार व्दारा जाति प्रमाण पत्र से संबधित समस्त परिपत्र दिल्ली से सीधे तहसीलों में भेजने की व्यवस्था, सरकार स्तर पर ''मंत्रालय'' या ''ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ'' की पृथक से स्थापना, पृथक सादा जाति प्रमाण पत्र व पृथक नॉन–क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र, पदोन्नति में आरक्षण, निजी संस्थानों में आरक्षण, उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण, क्रीमीलेयर आय सीमा में रु. 9 लाख की वृध्दि व क्रीमीलेयर धारणा को हटाया जाना समय की मॉंग है।

Sincere & honest efforts with strong will are required for social & educational uplift-ment of this society earmarked as OBC.

ओ.बी.सी. के रुप में चिन्हित सदियों से शोषित–पीड़ित इस ''कर्मवीर–समाज'' के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति व ईमानदारी से बहुमुखी प्रयास आवश्यक हैं।

Visit www.obcguru.com for Central Creamy layer criteria 1993, Rs. 4.50 lakhs order 2008, Creamy layer clarifications 2004, Central list of OBC castes, OBC certificate, Application form & Scholarships.

केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड 1993, रु. 4.50 लाख आदेश 2008, क्रीमीलेयर स्पष्टीकरण 2004, ओ.बी.सी. जातियों की केन्द्रीय सूची, जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति हेतु www.obcguru.com वेबसाइट देखें।

Er. Shailendra Wagadre, Principal General Secretary, All India APAAX, NB-69, AB Type Colony, Sarni Distt.-Betul (MP), 9425003700,07146277477
इंजी. शैलेन्द्र वागद्रे, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अपाक्स, एन.बी.–69, एबी टाइप कॉलोनी, सारनी, जि.–बैतूल (म.प्र.), 9425003700, 07146277477

National Office- Er. A. P. Patel, All India President, All India APAAX, G-87, Kotrasultanabad, Bhopal (MP) 462003, 9826936538, 07552771372
राष्ट्रीय कार्यालय– इंजी. ए. पी. पटेल, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपाक्स, जी–87, कोटरासुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.), 462003, 9826936538, 07552771372

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com